

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्रमांक 404 / वित्त / ब-4-GC16 / 2016
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 30/06/2016

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

विषय :- कोयला ब्लॉक्स की नीलामी से प्राप्त होने वाली राशि के लिए पृथक राजस्व प्राप्ति शीर्ष खोलने बाबत ।

संदर्भ:- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 456 / वित्त / ब-4 दिनांक 3.7.2015

संदर्भित ज्ञापन द्वारा छत्तीसगढ़ के कोल ब्लॉक्स की नीलामी से प्राप्त होने वाली राशि को शासकीय कोष में जमा कराने हेतु आबंटित शीर्ष में संशोधन करते हुये निम्नानुसार पृथक-पृथक योजना शीर्ष आबंटित किया जाता है:-

क्र.	पूर्व में आबंटित शीर्ष	संशोधित शीर्ष
1	0853-अलोह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग	0853-अलोह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग
2	लघु शीर्ष 102-खनिज संबंधी रियायती फीस, किराये और रायल्टी	लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ
3	योजना शीर्ष 0279-कोल ब्लॉक्स की नीलामी से प्राप्त आय	योजना शीर्ष 7610-कोल ब्लॉक्स की नीलामी से प्राप्त आय योजना शीर्ष 7611 गौण खनिजों से प्राप्त नीलामी राशि योजना शीर्ष 7612 -कोयला को छोड़कर अन्य मुख्य खनिज से प्राप्त नीलामी राशि

(सतीश पाण्डेय)

संयुक्त सचिव

नया रायपुर, दिनांक 30/06/2016

पृ.क्रमांक 405 / वित्त / ब-4-GC16 / 2016

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़, रायपुर
2. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
3. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग, बजट शाखा 5
5. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अरविन्द कुजूर)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी